न्यायालय-ए०के०गुप्ता,न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला मिण्ड (म०प्र०)

आपराधिक प्रक0क्र0—611/12

संस्थित दिनाँक-08.08.12

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र–मौ जिला–भिण्ड (म०प्र०)

.....अमियोगी

विरुद्ध

अमिलाख पुत्र लाखनसिंह राजपूत उम्र 31 साल निवासी ग्राम चोरई थाना असवार जिला मिण्ड


.....अभियुक्त

–ः निर्<u>णयः</u>–

(आज दिनांक 13.04.2017 को घोषित)

अभियुक्त पर आयुद्य अधिनियम 1959 (जिसे अत्र पश्चात "अधिनियम" कहा जायेगा) की घारा 25-21-बी) (बी) के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 23.06.12 को समय 18:30 बजे, मौ किटी रोड़ पर अपने आधिपत्य में एक लोहे की छुरी को बिना वैघ लायसेंस के रखा जो म0प्र0 राज्य की अधिसूचना कमांक—6321—6552—11-बी (1) दिनांक 22.11.74 के विपरीत है।

2 अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि थाना प्रमारी मौ एस०बी०एस० रघुवंशी को दिनांक 23.06.12 को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम चोरई थाना असवार जिला मिण्ड का फरारी बदमाश अभियुक्त अभिलाखिसंह राजपूत मौ से किटी तरफ रोड से आ रहा है जिसकी सूचना को रोजनामचा सान्हा पर अंकित कर मय फोर्स शासकीय वाहन से रवाना होकर किटी रोड पर पहुंचे तो एक व्यक्ति पुलिस वाहन को देखकर खेतों की तरफ भागने लगा, जिसे घेर कर पकड़ा तमी मोटरसाईकिल से आ रहे पंच साक्षी रघुवीरसिंह व अरविंद राजपूत के समक्ष उक्त व्यक्ति को पकड़ा। उस व्यक्ति ने अपना नाम अभिलाखिसंह होना बताया, जिसकी पंच साक्षीगण के समक्ष तलाशी ली, तलाशी लेने पर उसकी कमर में बांयी तरफ एक लोहे की छुरी खुरसी हुई मिली जिसके रखने का कोई लायसेंस न होना बताया। छुरी जब्तकर जब्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिर० पत्रक बनाया। तत्पश्चात् थाने पर आकर अप०क०—141/12 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंघान कथन लेखबद्ध किए गए। बाद अनुसंघान अभियोगपत्र पेश किया गया।



- 3. अभियुक्त को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द०प्र०स० की धारा 313 के अधीन अभियुक्त ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा झूंठा फंसाया जाना बताया।
- 4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि—


 1—क्या अभियुक्त ने दिनांक 23.06.12 को समय 18:30 बजे, मौ किटी रोड़ पर अपने

 आधिपत्य में एक लोहे की छुरी को बिना वैघ लायसेंस के रखा जो म०प्र० राज्य की

 अधिसूचना कमांक—6321—6552—11—बी (1) दिनांक 22.11.74 के विपरीत है ?


<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::-</u>

- 5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में रघुवीरसिंह उर्फ निम्मे अ०सा० 1, अरविंद अ०सा० 2, बंटी मेहरा अ०सा० 3, शशिमूषण रघुवंशी अ०सा० 4 को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गयी।
- 6. प्रकरण में अभियोजन की ओर से जब्दी साक्षी रघुवीरसिंह अ०सा० 1 तथा अरविंद अ०सा० 2 को परीक्षित कराया गया। दोनों ही साक्षी अभियुक्त को नहीं जानते और उनके समक्ष कोई मी चाकू या छुरी जब्द होने के तथ्य से इंकार करते हैं। प्र०पी० 1 व 2 पर हस्ताक्षर अपने कमशः ए से ए तथा बी से बी भाग पर होना तो स्वीकार करते हैं किन्तु उक्त दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का कोई समर्थन नहीं करते हैं। उक्त साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्नों में उनके समक्ष दिनांक 23.06.12 को किटी रोड पर अभियुक्त के आधिपत्य से लोहे की प्रतिबंधित आकार की धारदार छुरी जब्द किए जाने का सुझाव देने पर साक्षियों द्वारा उक्त सुझाव से इंकार किया गया है। प्रकरण में जब्दी साक्षियों द्वारा अभियुक्त के आधिपत्य से प्रतिबंधित आकार की घारदार छुरी के जब्द किए जाने के तथ्य का कोई समर्थन नहीं किया गया है। साक्षियों द्वारा पुलिस कथन कमशः प्र0पी० 3 व 4 में विनिर्दिष्ट भाग के तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कराए जाने पर उक्त तथ्यों से भी इंकार किया गया है। इस प्रकार से उक्त साक्षीगण की साक्ष्य अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन पक्ष को कोई लाम प्रदान नहीं करती है।
- 7. बंटी मेहरा अ०सा० 3 यह कथन करते हैं कि दिनांक 23.06.12 को थाना मौ में आरक्षक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को थाना प्रभारी एस०बी०एस० रघुवंशी को सूचना मिली थी कि अमियुक्त किटी रोड पर आया है, जिसकी सूचना मिलने पर मय फोर्स शासकीय वाहन से बताए स्थान पर पहुंचे तो उन लोगों को देखकर अमियुक्त भागा जिसे घेरकर पकडा, तलाशी लेने पर कमर में बांयी तरफ छुरी रखे मिला, जिसके रखने का लायसेंस न होना बताया। अमियुक्त की थाना प्रभारी द्वारा जब्ती व गिरफ्तारी पंच साक्षियों के समक्ष किए जाने का कथन किया गया है। साक्षी अभिकथित



छुरी के आकार व उसके प्रतिबंधित होने के संबंध में मुख्य परीक्षण में कोई कथन नहीं किया गया है। साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में यह कथन करता है कि न तो उसने और न ही किसी अन्य पुलिस के व्यक्ति ने कथित छुरी को नापा था।


- प्रकरण में जब्दीकर्ता शशिमूषण रघुवंशी अ०सा० 4 को परीक्षित कराया गया है जो दिनांक 23,06.12 को थाना मौ में नगर निरीक्षक के पद पर होने का कथन करते हैं और यह बताते हैं कि उक्त दिनांक को उन्हें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम चोरई थाना असवार जिला मिण्ड का फरारी बदमाश अमिलाखसिंह किटी रोड तरफ जा रहा है। उक्त सूचना को सान्हा क0 914 पर अंकित कर रोजनामचा सान्हा क0 915 पर रवानगी अंकित कर शासकीय वाहन से मय फोर्स मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचे तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर खेतों की तरफ भागने लगा जिसे फोर्स की मदद से पकडा। यह भी कथन करते हैं कि उसी समय मोटरसाईकिल पर आ रहे पंचान रघुवीर गुर्जर व अरविंद राजपूत के सामने उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अमिलाखसिंह राजपूत निवासी चोरई का होना बताया। तलाशी लेने पर उसकी कमर में बांयी तरफ पैंट के नीचे एक लोहे की छुरी खुरसी मिलने का कथन करते हैं, कथित छुरी की लंबाई एक वालिस्त चार अंगुल एवं छुरी की एक तरफ घारदार होने का कथन करते हैं। अभियुक्त से छुरी जब्तकर जब्ती पत्रक प्रपी0 1 तथा गिर0 कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0 2 बनाए जाने का कथन करते हुए सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। न्यायालय में प्रस्तुत छुरी आर्टीकल ए 1 को अभियुक्त से जब्त किया जाना बताते हैं। लौटकर थाना में वापसी किया जाना जिसे प्र0पी0 6 के रूप में बताते हैं। साथ ही अपराध को प्र0पी0 7 के रूप में पंजीबद्ध कर उसके ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं।
 - 9. प्रकरण में जब्तीकर्ता शशिमूषण रघुवंशी द्वारा अमिकथित मुखबिर की सूचना थाने पर मिलने का कथन किया गया है किन्तु प्रतिपरीक्षण में बताने में अस्मर्थ हैं कि कितने बजे सूचना मिली थी, यह भी बताने में अस्मर्थ है कि थाने से कितने बजे रवाना हुए थे। यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि जब्तीकर्ता शिशमूषण अ0सा0 4 कथित अमियुक्त की सूचना मुखबिर से मिलना बताते हैं किन्तु कथित जब्ती स्थल पर यदि रवाना हुए तो उनके द्वारा कथित छुरी पर कोई नमूना सील अंकित किया गया हो, ऐसा तथ्य अमिलेख पर नहीं हैं। प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में स्वीकार करते हैं कि जब्ती पंचनामा में कोई नमूना सील नहीं लगी है। प्र0पी0 1 के कॉलम नं0 13 में नमूना सील का कॉलम रिक्त है। अमिकथित छुरी को किस अवस्था में लाया गया इसके संबंध में अनुसंधानकर्ता के द्वारा कोई कथन नहीं किया गया है और प्र0पी0 1 में इस बात का उल्लेख नहीं हैं कि कथित छुरी को कपडे में सीलबंद किया गया हो। जहां प्रकरण में अमिकथित जब्ती के साक्षी जो रघुवीर अ0सा0 1 तथा अरविंद अ0सा0 2 द्वारा भी कोई समर्थन नहीं किया गया है।



- 10. प्रकरण में जब्तीकर्ता शशिमूषण अ०सा० 4 जब्तशुदा छुरी की लंबाई एक वालिस्त चार अंगुल होना बताते हैं। बंटी मेहरा अ०सा० 3 का कथन अमिकथित छुरी की नाप के संबंध में उल्लेखनीय हैं जो किण्डका 3 में यह बताते हैं कि जब्तशुदा छुरी को न तो उन्होंने नापा था और न हीं किसी अन्य पुलिस के व्यक्ति ने उसे नापा था, वे कथित छुरी की लंबाई चौडाई बताने में अस्मर्थ हैं। शशिमूषण अ०सा० 4 के अनुसार यदि जब्ती पत्रक प्र०पी० 1 जब्ती स्थल पर बनाया गया तो फिर जब्ती पत्रक में वहां उप० व्यक्ति के द्वारा कथित जब्तशुदा छुरी की मौके पर कोई नाप न किए जाने का कथन जब्ती कार्यवाही को संदिन्ध दर्शा रहा है। म०प्र० राज्य की अधिसूचना क्रमांक—6321—6552— 11—बी (1) दिनांक 22.11.74 के अधीन प्रतिबंधित आकार की धारदार वस्तु को सार्वजनिक स्थान पर संधारित किए जाने से निषेधित किया गया है, जिसमें धारदार वस्तु के फन की लंबाई 6 इंच अथवा चौडाई 2 इंच से अधिक होना आवश्यक है अथवा खटकादार छुरी की दशा में उक्त खटकादार छुरी प्रतिबंधित आकार नहीं बताया है। साथ ही शिशमूषण अ०सा० 4 द्वारा जो कथित छुरी की लंबाई बताई है वह उपबंधित प्रावधान के अनुसार दाण्डिक अभियोजन की पूर्ति हेतु पर्याप्त थी या नहीं, इस संबंध में अभियोजन साक्ष्य मौन हैं।
 - 11. बंटी मेहरा अ0सा0 3 यह स्वीकार करते हैं कि जब्दी पत्रक प्र0पी0 1 तथा गिर0 पत्रक प्र0पी0 2 पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं, यह स्वीकार करते हैं कि बाजार में चाकू, छुरी, हिसया आदि सब्जी वाले व किसानों के पास आसानी से मिल जाते हैं। ऐसे में अमिकथित छुरी की विनिर्दिष्ट पहचान का कोई मी तथ्य अमिलेख पर नहीं हैं। यह साक्षी जो कि अमियुक्त की कमर से स्वयं छुरी निकालना बताता है वह अमिकथित छुरी की लंबाई चौडाई और विशिष्टि पहचान के संबंध में कोई मी कथन नहीं करता है। यह साक्षी स्वीकार करता है कि समय समय पर वरिष्ठ अधिकारियों से चाकू, छुरी, शराब, जुआ, सट्टा आदि पकड़ने के अमियान के निर्देश आते रहते हैं। शशिमूषण अ0सा0 4 मी कथित छुरी की विशिष्ट पहचान का कोई कथन नहीं करते हैं। यहां तक कि जिस स्थान से अमियुक्त को गिरफ्तार करना बताते हैं उसका भी निश्चित स्थान के रूप में कथन करने में अस्मर्थ हैं। यद्यपि यह साक्षी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अमियान के तहत अमियुक्त पर असत्य रूप से छुरी रखने का प्रकरण पंजीबद्ध किए जाने से इंकार करता है। बंटी मेहरा अ0सा0 3 भी इस तथ्य से इंकार करता है, जबिक अमियुक्त तो स्वयं थाने में समर्पित होने निहत्था आया था।
- 12. साक्षी बंटी मेहरा अ०सा० 3 जो कि अमियुक्त के कब्जे से कथित छुरी जब्त करना बताता है वह प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करता है कि यदि अमियुक्त उसके समक्ष आ जाए तो भी वह उसे नहीं पहचान सकता है जिसका स्पष्टीकरण देते हुए बताता है कि क्योंकि घटना को 5 साल हो गए हैं। किन्तु साक्षी द्वारा स्वयं अमियुक्त के आधिपत्य से छुरी जब्त किए जाने के बावजूद उसकी पहचान

करने में अस्मर्थता व्यक्त करता है। शशिमूषण प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में यह बताने में अस्मर्थ हैं कि अभियुक्त को किस विशिष्ट स्थान पर पकड़ा गया था जबिक यह स्वीकार करते हैं कि अभियुक्त के गिर0 एवं जब्ती पत्रक में कोई निश्चित स्थान अंकित नहीं हैं। ऐसे में साक्षी का अभिकथन अभियुक्त के अपराध को प्रमाणित किए जाने हेतु पर्याप्त एवं विश्वसनीय नहीं हैं।

- 13. प्रकरण में जब्ती व गिरफ्तारी प्र0पी0 1 व 2 के पंच साक्षीगण रघुवीर अ0सा0 1 तथा अरविंद अ0सा0 2 ने भी अभियोजन कार्यवाही का कोई समर्थन नहीं किया है। साथ ही प्रकरण में पुलिस कथन धारा 161 दप्रस प्र0पी0 3 व 4 के विनिर्दिष्ट भागों से उनके कथनकर्ता द्वारा इंकार किया गया है। ऐसी दशा में प्रकरण में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 145 के अधीन सािक्षयों का ध्यान पूर्वतन कथन की ओर दिलाए जाने पर उसमें ताित्वक विरोधामास व लोप होना पाए गए हैं। प्रकरण में प्र0पी0 5 व 6 के रूप में रोजनामचा सान्हा की कार्बन प्रति को शिशमूषण अ0सा0 4 ने अंकित किया जाना बताया है किन्तु उक्त प्र0पी0 5 व 6 पर उनके हस्ताक्षर प्रमाणित नहीं हैं और रोजनामचा सान्हा की कार्बन प्रति लोक दस्तावेज की श्रेणी में नहीं आती है ऐसे में उसे प्राइवेट दस्तावेज की भांति मूल रोजनामचा सान्हा के माध्यम से प्रमाणित किया जाना चाहिए था। ऐसे प्रमाणित किए बिना उसका सािक्षक मूल्य नगण्य है।
 - 14. दांडिक विधि के अनुसार अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 23.06.12 को समय 18:30 बजे, मौ किटी रोड़ पर अपने आधिपत्य में एक लोहे की छुरी को बिना वैध लायसेंस के रखा जो म0प्र0 राज्य की अधिसूचना क्रमांक—6321—6552—11—बी (1) दिनांक 22.11.74 के विपरीत है। अतः अभियुक्त अभिलाख को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1—बी) बी के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
 - 15. अभियुक्त-जेल में हैं। अतः यदि अभियुक्त की अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे अविलंब छोडा जावे।
 - 16. प्रकरण में जब्तशुदा छुरी अपील अवधि पश्चात् विधिवत मूल्यहीन होने से तोडकर नष्ट की जावे। अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।



17. यदि अभियुक्त इस प्रकरण में निरोध में रहा हो, तो इस संबंध में धारा 428 दप्रस का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

न्यायिक मिजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश